15. This Convention recommends the establishment of "Indian Horticultural Development and Marketing Corporation" in the country to promote the production and equitable distribution of fruits and vegetables in the country.

छाबी सिंचाई परियोजना

2335. **श्री चतुर्भुज :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के झालावाड़ जिले में छाबी सिंचाई परियोजना पर 1 जनवरी, 1984 तक कितना व्यय किया गया है और इसके कब तक पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या धन का आवंटन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सम्भवत: राजस्थान के झालावाड़ जिले में छाबी मध्यम सिंचाई परियोजना का उल्लेख किया गया है। मार्च, 1984 तक इस परियोजना पर 1.34 करोड़ रुपए व्यय हो जाने की प्रत्याशा है जबकि इसकी अनुमानित लागत 18.22 करोड़ रुपए है। परियोजना को मार्च, 1987 तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम बनाया गया था।

(ख) और (ग) वित्तीय संसाधनों की तंगी के कारण, राजस्थान सरकार इस परियोजना को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए अपनी वार्षिक योजनाओं में अपेक्षित प्रावधान नहीं कर पाई है।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का क्रियान्वयन

2336. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मुद्दों को क, ख और ग तीनों श्रेणियों के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो क, ख और ग राज्यों में स्थित उनके मंत्रालय, विभागों, सम्बद्ध एवम् अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान धारा 3(3) की क्रियान्विति की प्रतिशतता का राज्य-वार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों में उक्त सभी चौदह मुद्दों को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली स्थित, कृषि मंत्रालय (मुख्य) में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के कार्यान्वयन की प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्रतिशत
1981-82	91
1982-83	84
1983-84 (30-9-83 तक)	94

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों के

बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) और (घ) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) से सम्बन्धित काम-काज को शत-प्रतिशत करने में, आने वाली कठिनाईयां हिन्दी स्टाफ की सुलभता हिन्दी में काम करने के प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित हैं । तथापि, मंत्रालय के कुछ कार्यों के वैज्ञानिक और तकनीकी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों पर अमल के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

Agricultural production during 1984

2337. SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARI : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether there is bumper crop of rice, wheat and sugarcane;

(b) if so, the estimated production figures of these articles for the year 1984;

(c) whether any buffer stock has been created; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) and (b) Final estimates of production of rice, wheat & sugarcane have not yet been received from many States, for the year 1983-84. However, it is currently assessed that production of rice might attain a record level of 57 million tonnes. As regards wheat, in case the weather and rainfall conditions in the rest of the rabi season are favourable, the production is expected to exceed the last year's record level of 42 5 milllon tonnes. Production of sugarcane is likely to be in the range of 175 to 180 million tonnes.

(c) and (d) The building up and maintenance of buffer stocks of foodgrains have been important planks of the national food policy The total stock of foodgrains (including buffer stock and operational stock) comprising primarily rice and wheat, with the Central Pool and State Governments as on 1-2-1984 was 154.09 lakh tonnes.

Announcement of New-Laws by DDA

2338 SHRI KRISHNA CHANDRA PANDEY : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether before announcement of new bye laws, excess coverage of constructed area of houses on DDA land was being regularised on payment of nominal penalty of Rs. 25/ per sq. ft. for 1st 5 percent, Rs. 50/- per sq. ft. for 2nd 5 per cent and Rs. 100/- per sq ft. for the third 5 per cent of excess coverage than the approved plan of the house;

(b) if so, the reasons why the facility/privilege already granted has been withdrawn putting thousands of people to great inconvenience who get their plans approved after 23rd June, 1983 whereas announcement of new Bye-laws was made through News papers in October, 1983; and

(c) whether Government propose to give this facility/privilege again to public enabling them to complete their construction work, which was suspended because of new Bye-laws; if not, reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) In the development area notified under Section 12 of Delhi Development Act, 1957, the DDA had adopted the building bye-laws of Municipal Corporation of Delhi which continued to operate upto 22.6.1983. Under these bye-laws DDA had decided that 10 per cent of the excess permissible